अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

सं. 21/2017-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 1046(अ).—केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 691(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में परिषद की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) सारणी में,—

(क) क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9क	अध्याय 99	फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एशोसिएशन (एफआईएफए) और इसके सब्सिडियरी के द्वारा और इनको प्रदान की गई सेवाएं जोकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एफआईएफए यू-17 विश्व कप 2017, जोकि भारत में होना है, की किसी भी घटना से संबंधित हो।	कुछ नहीं	बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा और खेल मंत्रालय, के द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि ये सेवाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फीफा यू-17 विश्व कप 2017 की किसी घटना से संबंधित है।";

(ख) क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"11क	शीर्ष 9961 या शीर्ष 9962	किसी कमीशन या मार्जिन के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं, चावल और मोटे अनाज की बिक्री के माध्यम से उचित मूल्य दर वाली दुकानों के द्वारा केंद्र सरकार को प्रदान की जाने वाली सेवा।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
11ख	शीर्ष 9961 या शीर्ष 9962	किसी कमीशन या मार्जिन के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल आदि की बिक्री के माध्यम से उचित मूल्य दर वाली दुकानों के द्वारा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की जाने वाली सेवा।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ग) क्रम सं. 35 के समक्ष, कॉलम (3) में,—

(क) मद (ज) में, "मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम या उपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम" शब्दों के स्थान पर "पुनर्संरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूसीआईएस)", शब्द, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) मद (ञ) में, "राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना)" शब्दों के स्थान पर "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)", शब्द, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (ii) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा:—

"(iii) लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 (2009 का 6) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत "लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप" को एक पार्टनरशिप फर्म या फर्म माना जाएगा।"

[फा. सं. 354/173/2017-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 12/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि. 691 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2017

No. 21/2017-Central Tax (Rate)

G.S.R. 1046(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification,—

(i) in the Table,—

(a) after serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9A	Chapter 99	Services provided by and to Fédération Internationale de Football Association (FIFA) and its subsidiaries directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 World Cup 2017 to be hosted in India.	Nil	Provided that Director (Sports), Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that the services are directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 World Cup 2017.";

(b) after serial number 11 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"11A	Heading 9961 or Heading 9962	Service provided by Fair Price Shops to Central Government by way of sale of wheat, rice and coarse grains under Public Distribution System(PDS) against consideration in the form of commission or margin.	Nil	Nil
11B	Heading 9961 or Heading 9962	Service provided by Fair Price Shops to State Governments or Union territories by way of sale of kerosene, sugar, edible oil, etc. under Public Distribution System (PDS) against consideration in the form of commission or margin.	Nil	Nil";

(c) against serial number 35, in column (3),—

(A) in item (h), for the words "Weather Based Crop Insurance Scheme or the Modified National Agricultural Insurance Scheme", the words, brackets and letters "Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWCIS)", shall be substituted;

(B) in item (j), for the words "National Agricultural Insurance Scheme (Rashtriya Krishi Bima Yojana)", the words, brackets and letters "Pradhan Mantri Fasal BimaYojana (PMFBY)", shall be substituted;

(ii) in paragraph 3, in the Explanation, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:—

"(iii) A "Limited Liability Partnership" formed and registered under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) shall also be considered as a partnership firm or a firm.".

[F. No. 354/173/2017-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

सं. 22/2017-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 1047(अ).—केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एततद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसचूना सं. 13/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 692(अ) दिनांक 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में परिषद की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) सारणी में, क्रम सं. 1 के समक्ष, कॉलम (2) में, शब्द और कोष्ठक "माल वाहक अभिकरण (जीटीए)" के पश्चात शब्द और अक्षर ", जिसने 6 प्रतिशत की दर से केंद्रीय कर का भुगतान नहीं किया है," अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (घ) के पाश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा—

"(ड़) लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 (2009 का 6) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत "लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप" को एक पार्टनरशिप फर्म या फर्म माना जाएगा।"

[फा. सं. 354/173/2017-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 13/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि. 692(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2017

No. 22/2017-Central Tax (Rate)

G.S.R. 1047(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 692(E), dated the 28th June, 2017, namely:—